न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 28/2021
आरसीएमएस नं.:–2021/28

चेतराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी भैरूंसरी तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ।

––अपीलांट

बनाम

1. बृजलाल पुत्र पन्नाराम
2. हरिराम पुत्र काशीराम
3. कृष्णा पुत्री काशीराम
4. रामचन्द्र पुत्र लालूराम
5. रामप्रताप पुत्र लालूराम –फौत
5/1 गीता पत्नी रामप्रताप
5/2 प्रमीला पुत्री रामप्रताप
5/3 सुमन पुत्री रामप्रताप
5/4 पूनम पुत्री रामप्रताप

जाति जाट निवासी भैरूंसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

6. हेतराम पुत्र लालूराम
7. चैनकी उर्फ चैना देवी पुत्री लालूराम पत्नी हरचंद जाति जाट निवासी मैहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा रावतसर जरिये शाखा प्रबन्धक

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.02.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर।
प्रकरण संख्या 63/2020 बअनवानी ''चेतराम बनाम बृजलाल आदि''

उपस्थितिः–
श्री मांगेराम गोदारा अभिभाषक, अपीलांट
श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः–

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया जिसमें कथन कियाकि चक 3 जेडडब्ल्यूएम की 3.693 है0 भूमि व चक 4 जेडडब्ल्यूडी की 5.945 है0 एवं चक 5 एस.पी.डी.बी की .506 है0 भूमि हमारी शामिल खाते की भूमि है और संयंक्त रूप से हमारे कब्जा काश्त में है। रेस्पोडेण्टगण बिना खाता विभाजन करवाये जमीन का विशिष्ट भू भाग बेचने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि प्रश्गनत भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 8 की संयुक्त खाता की भूमि है तथा अप्रार्थीगण को अपनी भूमि को रहन बैय करने का अधिकार है क्योंकि वाद भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसे बैंक के रहन रखकर आर्थिक सहायक प्राप्त करने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपना पक्ष दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया था कि भूमि शामिल खाते की है तथा बिना खाता विभाजन करवाये अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी व भूमाफिया किस्म के लोगों को फरोक्त करने पर आमादा है जिससे खून खराबा होने की पूरी संभागवना है फिर भी मातहत अदालत ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया और प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया था तथा अपने जवाब में भी भूमि को नहीं बेचने की सहमति जताई थी लेकिन फिर भी दौराने दावा अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का बेचान कर दिया लेकिन मातहत अदालत ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय मनमाना व स्वेच्छाचारीपूर्ण तथा न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 8 की संयुक्त खाता की भूमि है तथा अप्रार्थीगण को अपनी भूमि को रहन बैय करने का अधिकार है क्योंकि वाद भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसे बैंक के रहन रखकर आर्थिक सहायक प्राप्त करने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2006 पेज 21 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

6. बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्गनत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में खाता विभजान का वाद विचाराधीन है। बिना खाता विभाजन करवाये प्रश्नगत भूमि का बेचान किया जाता है तो उभयपक्षों के मध्य वाद की बहुलता बढेगी। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तथा प्रश्नगत भूमि को सुरक्षित रखने के लिए प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.02.2021 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि चक 3 जेडडब्ल्यूएम पटवार हल्का भैरूसरी तहसील रावतसर के खाता संख्या 19 के प. नं. 121/380 (5) के किला नं. 16 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0 अनकमाण्ड, 24/2 की 0.2020 है0 कमाण्ड, 25/1 की 0.2020 है0 प. नं. 121/381 (12) के किला नं. 3/1 की 0.2280 कमाण्ड, 3/2 की 0.0250 है0 गै. मु. खाला, 4/1 की 0. 2280 है0 कमाण्ड, 4/2 की 0.0250 है0 गै.मु.खाला, 5/1 की 0.2280 है0 कमाण्ड, 5/2 की 0.250 है0 गै. मु. खाला, 6, 7, 8 प्रत्येक की 0.2530 है0 कमाण्ड, 13 की 0. 2530 है0 कमाण्ड, 14 की 0.2530 है0 कमाण्ड, 15 की 0.2530 है0 कमाण्ड, कुल 3. 6930 है0 कमाण्ड/अनकामाण्ड एवं चक 4 जेडडब्ल्यूडी के प. नं. 118/389 (24) के किला नं. 1 ता 25 की कुल 5.945 है0 कमाण्ड मय गै. मु., प. नं. 119/389 (25) के किला नं. 1 ता 25 की कुल 5.945 है0 कमाण्ड कुल तादादी 12.015 है0 कमाण्ड गै. मु. खाला तथा चक 5 एसपीडीबी के खाता संख्या 45 के प. नं. 117/390 (6) के किला नं. 2, 3 की कुल 0.506 है. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को रहन बैय एवं मुन्तकिल नहीं करें तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 2.11.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/11/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़